

Press Release

दिनांक :- 29.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01.11.2015 (रविवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के 55 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 01.11.2015 (रविवार) को निर्धारित है जिनमें से 43 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः

7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक तथा 4 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक है। चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	1-वाल्मीकिनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	2-रामनगर (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	3-नरकटियागंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	4-बगहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	5-लौरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	6-नौतन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	7-चनपटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	8-बेतिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	9-सिकटा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	11-सुगौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	12-नरकटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	13-हरसिद्धि (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	14-गोविन्दगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	15-केसरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	16-कल्याणपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	17-पिपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	18-मधुबन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	19-मोतिहारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	20-चिरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	21-ढाका	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
शिवहर	22-शिवहर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
सीतामढ़ी	23-रीगा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
	24-बथनाहा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	25-परिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	26-सुरसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	27-बाजपट्टी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	28-सीतामढ़ी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	29-रुन्नीसैदपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

	30-बेलसंड	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	89-औरई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	90-मीनापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	92-सकरा (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	93-कुढ़नी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	94-मुजफ्फरपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	95-काँटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	96-बरुराज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	97-पारू	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	98-साहेबगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
	गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर
100-बरौली		प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
101-गोपालगंज		प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
102-कुचायकोट		प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
103-भोरे (अ0जा0)		प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
104-हथुआ		प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
सिवान	105-सिवान	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	106-जीरादेई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	107-दरौली (अ0जा0)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	108-रघुनाथपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	109-दरौंदा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	110-बड़हरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	111-गोरेयाकोठी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
	112-महराजगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	273
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	42
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	39
Violation of Loudspeaker Act	14

Illegal Meeting/Speech etc.	13
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	8
Others	73
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	190
No. of Explosives seized	56
No. of cartridges seized	595
No. of Bombs seized	12
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	8
No. of Licensed Arms deposited	12,155
No. of Licensed Arms Cancelled	3,712
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	64,442
No. of non-bailable warrants executed	15,017
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,28,58,959
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के चतुर्थ चरण के जिलों में अभी तक Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 5.15 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 11.50 लाख रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 2.42 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है। इसी प्रकार Flying Squad, SST, उत्पाद विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 1,58,246 लीटर शराब जब्त किया गया है जिसका मूल्य लगभग ₹2.90 करोड़ रूपया है।	
8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 466 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया।	
मधुबनी जिला में ₹1,30,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।	
9. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-	

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	3
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	3
Others	9
10. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	2
No. of cartridges seized	37
No. of Licensed Arms deposited	61
No. of Licensed Arms Cancelled	12
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	884
No. of non-bailable warrants executed	103
Fine collected in vehicle checking	Rs. 1,04,200
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	47
No. of raids conducted	126
Volume of illicit liquor seized during raids	1,969 litre
No. of persons arrested	46
Amount of fine imposed	Rs. 96,500
